

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेड़ा, जिला-चित्तौड़गढ़ (राज0)

प्रकरण संख्या- 14/2021 प्रार्थना पत्र

निर्णय दिनांक:- 17.06.2021

1. बबलु पुत्र खेमराज जाति जाट आयु वयस्क निवासी ईशाकपुरा तह0 निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राज0।
2. मुकेश पुत्र खेमराज जाति जाट आयु वयस्क निवासी ईशाकपुरा तह0 निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राज0।

– प्रार्थीगण

बनाम

1. कमरजहां पुत्री मसुद खां मुसलमान आयु वयस्क निवासी एचडीएफसी बैंक के पीछे, निम्बाहेड़ा तह0 निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राज0।
2. कलाबाई पत्नी मांगीलाल जाति मीणा आयु वयस्क निवासी भेमली तह0 निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राज0।
3. हुडीबाई पत्नी चम्पालाल जाति मीणा आयु वयस्क निवासी भेमली तह0 निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राज0।
4. प्रेमबाई पत्नी पृथ्वीराज जाति मीणा आयु वयस्क निवासी भेमली तह0 निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राज0।

– विपक्षीगण


## प्रार्थना पत्र तहत धारा 128 रा0ले0रे0एक्ट आदेश

संक्षिप्त विवरण मामला इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने एक धारा 128 रा0ले0रे0एक्ट के तहत पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण की खातेदारी की आराजियात वाके मौजा भेमली प0ह0 जावदा तहसील निम्बाहेड़ा में खाता सं0 83 की आराजी नं0 237 रकबा 1.1800 हैक्टैयर, आराजी नं0 238 रकबा 1.0000 हैक्टैयर, भूमि स्थित है। जिस पर को कोई स्पष्ट सीमा चिन्ह नहीं है जिससे कारण प्रार्थीगण व विपक्षीगण के बीच सीमा चिन्ह को लेकर विवाद होता रहता है। अतः प्रार्थीगण की भूमि की पत्थरगढ़ी कराई जावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगणों को जरये सम्मन तलब किया गया। विपक्षीगण बाबजूद तामिल एवं सूचना के अनुपस्थित होने से वकील प्रार्थीगण की एकतरफा बहस सुनी गई। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार निम्बाहेड़ा को 1000/-रु फीस पर कमिश्नर नियुक्त कर आदेश दिया जाता है कि उभय पक्ष को सूचना देते हुए, मौके पर कोई विवाद नहीं होने की स्थिति में, किसी न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं होने पर प्रार्थीगण की खातेदारी कि आराजियात वाके मौजा भेमली प0ह0 जावदा तहसील निम्बाहेड़ा में खाता सं0 83 की आराजी नं0 237 रकबा 1.1800 हैक्टैयर, आराजी नं0 238 रकबा 1.0000 हैक्टैयर, भूमि की किसी भी पक्ष के कब्जे में दखल दिये बगैर पत्थरगढ़ी करें। फीस कमिश्नर प्रार्थीगण से वसूल की जावें। पत्थरगढ़ी किये जाने की पालना रिपोर्ट 15 दिवस में पेश करें। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

आज दिनांक 17.06.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

(चन्द्रशेखर भण्डारी)  
उपखण्ड अधिकारी  
निम्बाहेड़ा



Web Copy - Not Official